संख्या-26/2019/क0नि0-4-815/11-2019/2(1)/19

प्रेषक,

नरेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 23 सितम्बर, 2019**

विषयः- श्रीमती रीता गुप्ता, श्री आशुतोष एवं श्री गोपाल जी के भवन में संचालित वाणिज्य कर कार्यालय, भरूहना, मिर्जापुर का किराया नवीनीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति/किराया/भ0प0-मीरजापुर-221/2019-2020/174/वाणिज्य कर, दिनांक-07.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर कार्यालय मिर्जापुर हेतु श्रीमती रीता गुप्ता, श्री आशुतोष एवं श्री गोपाल जी का भरूहना, मिर्जापुर स्थित भवन का दिनांक-08.01.2018 से 31.12.2018 तक का किराया पूर्व दर रू0-21,209.37 (रूपया इक्कीस हजार दो सौ नौ रूपया सैंतीस पैसे मात्र) प्रतिमाह एवं दिनांक-01.01.2019 से दिनांक-07.01.2023 तक अथवा भवन रिक्त किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रू0 26,510.00 (रूपया छब्बीस हजार पांच सौ दस मात्र) प्रतिमाह की दर से किराया नवीनीकरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वाणिज्य कर विभाग के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय- आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अंतर्गत मद संख्या-17 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होंगे।

4- उक्त किराया अनुबन्ध विलेख विभाग के सक्षम प्राधिकारी एवं भवन स्वामी के मध्य, निर्धारित प्रारूप पर निष्पादित किया जायेगा।

भवदीय,

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)

संख्या-26/2019/क0नि0-4-815(1)/11-2019, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. एडी0 कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मिर्जापुर।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।